

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 5496 / मीरजापुर क्षेत्र / 33 दिनांक मीरजापुर जून 22- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत दौती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 0.7694 हे० वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- एफ०पी०/यू०पी०/पाइपलाइन/152749/2022 ।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-3597/11-सी-FP/UP/pipline/152749/2022 ,लखनऊ दिनांक 16.06.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत दौती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 0.7694 हे० वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में उल्लिखित कमियों का निराकरण करते हुये प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-4494/मीरजापुर/15 दिनांक 22.06.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित टेबुलर फार्म निम्न प्रकार प्रेषित किया।

क्रं	आपत्ति	आपत्ति का निवारण
1-	प्रस्ताव के पृष्ठ-39 के मध्य भाग में 4ईच व्यास से ऊपर भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 0.7070 हे० है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ-39 के मध्य भाग में 4ईच व्यास से ऊपर भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.7070 हे० है।
2-	प्रस्ताव के पृष्ठ -39 के मध्य भाग में 4ईच व्यास से कम भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 0.0624 हे० है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ -39 के मध्य भाग में 4ईच व्यास से कम भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.0624 हे० है।
3-	कुल 0.7695 हे० आरक्षित वन भूमि का उल्लेख पृष्ठ संख्या-40/41 में अंकित विवरण के योग में है जबकि प्रस्तावनुसार 0.1797 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है जो त्रुटिपूर्ण /भ्रामक है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि पृष्ठ संख्या-40/41 में अंकित वन भूमि का विवरण में आँकणन को संशोधित कर दिया गया है आरक्षित वन भूमि 0.5897 एवं संरक्षित वन भूमि 0.1797 हे० कुल 0.7694 हे० है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या एतत्सह संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झाँ)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ

(रमेश चन्द्र झाँ)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर